"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी 2025 — पौष 27, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जनवरी 2025

क्र. 621/डी. 06/21—अ/प्रारू./छ.ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 16—01—2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप—सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 4 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2024

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) के अग्रतर संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

धारा 5 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) की धारा 5 में,–

''(एक) खण्ड (34–क) का लोप किया जाये।

(दो) खण्ड (43–क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाये, अर्थात् :–

''परन्तु, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से अभिप्रेत है ऐसी जनसंख्या के आंकड़े, जिसका निर्धारण विहित रीति से किया गया हो।''

धारा 9 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 9 में,–

(एक) उप–धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये,

अर्थात्:–

''(क) नगरपालिक क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित महापौर अर्थात् सभापति;''

(दो) उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :–

''(4) यदि कोई नगरपालिक क्षेत्र, महापौर का निर्वाचन करने में असफल रहता है या कोई वार्ड, पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहता है, यथास्थिति, ऐसे नगरपालिक क्षेत्र या वार्ड के स्थान को भरने के लिये छः माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जायेगा :

परन्तु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या समिति में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियाँ, ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते, स्थगित नहीं की जायेंगी।''

धारा 11 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:–

''(2) ऐसे नगरपालिक निगमों में, जहाँ अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किये गये हैं, वहाँ यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, शेष

स्थान, अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किये जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न–भिन्न वार्डो के लिए ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, चक्रानुक्रम से आवंटित किये जायेंगेः

परंतु, यह कि उप–धारा (1) के अधीन अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों का कुल आरक्षण पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक है, तो अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि यदि इस प्रकार आरक्षित रखे गए किसी वार्ड से पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अन्य पिछड़े वर्गो के किसी भी सदस्य द्वारा कोई नामांकन पत्र फाइल नहीं किया जाता है तो, कलेक्टर उस वार्ड को अनारक्षित वार्ड के रूप में घोषित करने के लिए सक्षम होगा।''

धारा 11–क का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 11–क में,–

(एक) उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:–

''(2) राज्य के महापौर के पदों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित होने पर यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत की

अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, शेष स्थान, अन्य पिछड़े वर्गो के लिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रखे जाएंगेः

परन्तु उप–धारा (1) के अधीन अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों का कुल आरक्षण पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा।''

(दो) उप–धारा (4–क) का लोप किया जाये ।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 में,– **धारा 12 का संशोधन.**

(एक) खंड (ए) का लोप किया जाये ।

(दो) खंड (डी) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(ई) यदि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी का, उसको दिये गये आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच के पश्चात्, जैसा कि वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि निगम के वार्ड से संबंधित विधानसभा की प्रचलित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किसी निर्वाचक का नाम, त्रुटिपूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ है, तो वह निगम के संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करेगा।''

धारा 14 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप–धारा (1) एवं (2) में, शब्द ''पार्षदों'' के पश्चात्, शब्द ''तथा महापौर'' क्रमशः अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 14–क का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 14–क की उप–धारा (1) में, शब्द ''पार्षद'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 14–ख का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 14–ख में, शब्द ''पार्षद'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 14–ग का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 14–ग के खण्ड (ख) में, शब्द ''पार्षद'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 15 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 15 में,–

(एक) शब्द ''पार्षदों'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्तःस्थापित किया जाये;

(दो) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''परन्तु कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, पार्षदों के किसी निर्वाचन में या महापौर के निर्वाचन में, एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा।''

धारा 16 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 16 में,–

(एक) उप–धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(क) यदि वह आयु में 25 वर्ष से कम नहीं है, तो महापौर के निर्वाचन हेतु; और''

(दो) उप–धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाये, अर्थात्:–

''(4) यदि कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर किसी एक पद से अपना त्यागपत्र देना होगा।''

धारा 17 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 17 में,–

(एक) शीर्षक में, शब्द ''पार्षद'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्तःस्थापित किया जाये;

(दो) उप–धारा (1) में, शब्द ''पार्षद'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्तःस्थापित किया जाये;

(तीन) उप–धारा (1) के खण्ड (ख ख) में, शब्द ''पार्षद'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्तःस्थापित किया जाये;

(चार) उप–धारा (1) के खण्ड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(ड.) महापौर की दशा में, पच्चीस वर्ष से कम आयु का हो और पार्षद की दशा में, इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो''

(पांच) उप–धारा (2) में, पार्श्व शीर्षक एवं संलग्न पैरा में, शब्द ''पार्षद'' जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्तःस्थापित किया जाये;

(छः) उप–धारा (3) में, शब्द ''पार्षद'' जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात्, शब्द ''या महापौर', अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 17–ख का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 17–ख में,–

(एक) उप–धारा (1) में, शब्द ''प्रत्येक पार्षद'' के पूर्व,

शब्द ''प्रत्येक महापौर तथा'' अन्तःस्थापित किया जाये;

(दो) उप–धारा (1) में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''महापौर तथा'' का लोप किया जाये;

(तीन) उप–धारा (2) में, शब्द ''पार्षद'' जहाँ कहीं आया हो, के पूर्व, शब्द ''महापौर या'' अन्तःस्थापित की जाये।

धारा 18 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की धारा 18 में,–

(एक) शीर्षक में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''महापौर तथा'' का लोप किया जाये;

(दो) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :–

''(1) निगम का महापौर तथा निर्वाचित पार्षद धारा 22 के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, विहित रीति में निर्वाचित पार्षदों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।''

(तीन) उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(3)उप–धारा (1) के अधीन सम्मिलन, कलेक्टर द्वारा बुलाया जाएगा तथा वह उसकी अध्यक्षता करेगा।''

(चार) उप–धारा (4) में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''महापौर तथा'' का लोप किया जाये।

16. मूल अधिनियम की धारा 20 में, – धारा 20 का संशोधन.

(एक) उप–धारा (1) के स्पष्टीकरण में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''महापौर तथा'' का लोप किया जाये।

(दो) उप–धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :–

''(5) यदि उप–धारा (1) में वर्णित कालावधि के अवसान होने के पूर्व, नगरपालिक निगम पुनर्गठित नहीं की जाती है, तो वह उक्त कालावधि के अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी और धारा 423 के उपबंध, छः मास से अनधिक कालावधि के लिए लागू होंगे, जिसके भीतर नगरपालिक निगम इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी।''

17. मूल अधिनियम की धारा 23–क में,– धारा 23–क का संशोधन.

(एक) शीर्षक में, शब्द ''महापौर या'' ''का लोप किया जाये;

(दो) उप–धारा (1) में, शब्द ''अध्यक्ष'' जहाँ कहीं आया हो, के पूर्व शब्द ''महापौर या'' का लोप किया जाये;

(तीन) उप–धारा (2) के खण्ड (दो) में, शब्द ''महापौर'' के पश्चात, चिन्ह एवं शब्द '',अध्यक्ष'' का लोप किया जाये ।

18. मूल अधिनियम की धारा 23–क के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाये, अर्थात्ः– धारा 24 का संशोधन.

''**24. महापौर का वापस बुलाया जाना.**– (1) किसी निगम के प्रत्येक महापौर द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा,

यदि उसे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो कि विहित की जाए, निगम क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाएः

परंतु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत न कर दिया जाएः

परंतु यह और कि ऐसी कोई प्रक्रियाः

(एक) उस तारीख से, जब ऐसा महापौर निर्वाचित होता है और अपना पद धारण करता है, दो वर्ष की कालावधि के भीतर आरंभ नहीं की जाएगी;

(दो) किसी उप–चुनाव में निर्वाचित महापौर की आधी कालावधि का अवसान न हो गया हो, आरंभ नहीं की जाएगीः

परंतु यह और भी कि महापौर को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार ही आरंभ की जाएगी।

(2) संभागीय आयुक्त अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापित कर लेने के पश्चात् कि उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य

सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, मतदान करवाने की व्यवस्था करेगा।''

धारा 422 का संशोधन.

19. मूल अधिनियम की धारा 422 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''महापौर तथा'' जहाँ कहीं आया हो, का लोप किया जाये।

धारा 441 का संशोधन.

20. मूल अधिनियम की धारा 441 की उप–धारा (2) के खण्ड (आ) के उप–खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में, नगरपालिक क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा।''

निरसन

21 छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्र. 2 सन् 2024) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्र. 5 सन् 2024) एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जनवरी 2025

क्र. 621/डी. 06/21–अ/प्रारू./छ.ग./25. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No.4 of 2025)

THE CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2024.

An Act to further amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 5.

2. In Section 5 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) (hereinafter referred to as the Principal Act),-

(i) Clause (34-a) shall be omitted.

(ii) After clause (43-a), the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that, population of Other Backward Class means, such figures of population, which have been determined in the prescribed manner."

3. In Section 9 of the Principal Act,– **Amendment of Section 9.**

(i) For clause (a) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) a Mayor that is Chairperson elected by direct election from the Municipal Area;"

(ii) For sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(4) If any municipal area fails to elect a Mayor or any ward fails to elect a Councilor, fresh election proceedings shall be commenced for such municipal area or ward, as the case may be, within six months to fill the seat and until the seat is filled it shall be treated as casual vacancy:

Provided that proceedings of election of Speaker or any of the Committee under the Act, shall not be stayed, pending the election of such seat."

4. For sub-section (2) of Section 11 of the Principal Act, the **Amendment of Section 11.**

following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) In such Municipal Corporations where less than fifty percent seats are reserved for Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes, then as nearly as possible remained seats shall be reserved for Other Backward Classes proportionate to their population, but subject to the maximum limit of fifty percent of total seats and such seats shall be allotted by rotation to different wards in such manner as may be prescribed:

Provided that under sub-section (1), if the total reservation for Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes is fifty percent or more than fifty percent, then no seat shall be reserved for Other Backward Classes (OBCs):

Provided further that if no nomination paper is filed for election, as a Councilor from any ward

so reserved, by any member of the Other Backward Classes then the Collector shall be competent to declare it, as unreserved."

5. In Section 11-A of the Principal Act,- **Amendment of Section 11-A.**

(i) For sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) In case, less than fifty percent of the total number of office of Mayors of Municipal Corporations of the state are reserved for Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes, then as nearly as possible remained seats shall be reserved for Other Backward Classes, proportionate to their population but subject to the maximum limit of fifty percent of the total seats:

Provided that if the total reservation for Scheduled Castes and/or Scheduled Tribes under sub-section (1) is fifty percent or more than fifty

percent, then no seat shall be reserved for Other Backward Classes (OBCs)."

(ii) Sub-section (4-a) shall be omitted.

Amendment of Section 12.

6. In Section 12 of the Principal Act,-

(i) clause (a) shall be omitted.

(ii) after clause (d), the following clause shall be added, namely:-

"(e) If the State Election Commission or an authority appointed by it, on an application or on its own motion, is satisfied after such inquiry as it thinks fit that any voter whose name is registered in the current assembly electoral roll relatable to the ward of the Corporation, has been erroneously not included, shall be incorporated in the

electoral roll of concerned ward of Corporation."

7. In sub-section (1) and (2) of Section 14 of the Principal Act, after the word “Councilors”, the words “and Mayors” shall be inserted, respectively. **Amendment of Section 14.**

8. In sub-section (1) of Section 14-A of the Principal Act, for the word “Councilor”, the word “Mayor” shall be substituted. **Amendment of Section 14-A.**

9. In Section 14-B of the Principal Act, for the word “Councilor”, the word "Mayor” shall be substituted. **Amendment of Section 14-B.**

10. In clause (b) of Section 14-C of the Principal Act, after the word "Councilor”, the words “or Mayor" shall be inserted. **Amendment of Section 14-C.**

11. In Section 15 of the Principal Act,- **Amendment of Section 15.**

(i) after the word "Councilors”, the words “or Mayor" shall be inserted;

(ii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that no person shall vote more than once in any election of the Councilors or an Election of the Mayor, as the case may be.”

Amendment of Section 16.

12. In Section 16 of the Principal Act,—

(i) for clause (a) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) For the election of Mayor, if he is not less than 25 years of age; and"

(ii) After sub-section (3), the following sub-section shall be added, namely:-

"(4) If a person is elected for the office of Mayor and Councilor both, he shall have to resign from one of the office within seven days from the date on which he is declared elected."

Amendment of Section 17.

13. In Section 17 of the Principal Act,—

(i) in the heading, after the words "Councilor", the words "or Mayor" shall be inserted;

(ii) in sub-section (1), after the word "Councilor", the words "or Mayor" shall be inserted;

(iii) in clause (bb) of sub-section (1), after the word "Councilor", the words "or Mayor" shall be inserted;

(iv) for clause (e) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) is less than twenty-five years of age, in the case of a Mayor and is less than twenty-one years of age, in case of Councilor."

(v) in sub-section (2), in marginal heading and body, after the words "Councilor", wherever they occur, the words "or Mayor" shall be inserted.

(vi) in sub-section (3), after the words "Councilor" wherever they occur the words "or Mayor" shall be inserted.

14. In Section 17-B of the Principal Act,— **Amendment of Section 17-B.**

(i) In sub-section (1), before the words "Every Councilor", the words "Every Mayor and" shall be inserted;

(ii) In sub-section (1), before the word "Speaker", the words "Mayor and" shall be omitted;

(iii) In sub-section (2), before the word "Councilor", wherever they occur, the words "Mayor or" shall be inserted.

15. In Section 18 of the Principal Act,— **Amendment of Section 18.**

(i) in the heading, before the word "Speaker", the words "Mayor and" shall be omitted;

(ii) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The Mayor and the elected Councilors of the Corporation shall within fifteen days from the date of the notification of the election under Section 22 in the prescribed manner, elect a Speaker from the elected Councilor."

(iii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) The Meeting under sub-section (1) shall be called and presided over by the Collector."

(iv) in sub-section (4), before the word "Speaker", the words "Mayor and" shall be omitted.

Amendment of Section 20.

16. In Section 20 of the Principal Act,-

(i) in the Explanation of sub-section (1), before the word "Speaker", the words "the Mayor and" shall be omitted.

(ii) after sub-section (4), the following sub-section shall be added, namely:-

"(5) If before the expiry of the period mentioned in sub-

section (1), the Municipal Corporation is not reconstituted, it shall stand dissolved on the expiry or the said period and the provisions of Section 423 shall apply thereto for a period not exceeding six months within which the Municipal Corporation shall be reconstituted in accordance with the provisions of this Act."

17. In Section 23-A of the Principal Act,- **Amendment of Section 23-A.**

(i) in the heading, the words "Mayor or" shall be omitted;

(ii) in sub-section (1), before the word "Speaker", the words "Mayor or" wherever they occurs shall be omitted;

(iii) in clause (ii) of sub-section (2), after the word "Mayor", the punctuation and word ",Speaker" shall be omitted.

18. After Section 23-A of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely:- **Amendment of Section 24.**

"**24. Recalling of Mayor**.- (1) Every Mayor of a Corporation shall forthwith be deemed to have vacated his office if he is

recalled through a secret ballot by a majority of more than half of the total number of voters of the corporation area casting the vote in accordance with the procedure as may be prescribed:

Provided that no such process of recall shall be initiated unless a proposal is signed by not less than three-fourth of the total number of the elected Councilor and presented to the Divisional Commissioner:

Provided further that no such process shall be initiated:

(i) within a period of two years from the date on which such Mayor is elected and enters his office;

(ii) if half of the period of tenure of the Mayor elected in a by-election has not expired:

Provided also that process for recall of the Mayor shall be initiated once in his whole term.

(2) The Divisional Commissioner after satisfying himself and verifying that the three-fourth of the Councilors specified in sub-section (1) have signed the proposal of recall, shall send the proposal to the State Government and the State Government shall make a reference to the State Election Commission.

(3) On receipt of the reference, the State Election Commission shall arrange for voting on the proposal of recall in such manner as may be prescribed."

19. In clause (b) of sub-section (1) of Section 422 of the Principal Act, before the word "Speaker", wherever they occurs the words "Mayor and" shall be omitted. **Amendment of Section 422.**

20. For sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 441 of the Principal Act, the following sub-clause shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 441.**

"(iii) in the case of election of Mayor, by any voter of the Municipal area."

Repeal. **21.** The Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2024 (No. 2 of 2024) and the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2024 (No. 5 of 2024) is hereby, repealed.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.